बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एचओ/बीआर/112/117

दिनांक: 19.03.2020

भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परिपत्र

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग,
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

सब/ फाइल: पीईआरएस 10

महोदय/ महोदया,

विषय: दिनांक 01.03.02020 से 30.04.2020 की अवधि के लिए अवकाश गृह संबंधी पेनल्टी का रिवर्सल.

अवकाश गृह की बुकिंग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि बुकिंग / आरक्षण को कनफर्म बुकिंग की तारीख से 15 दिन से कम समय में रद्द किया जाता है तो लागू किराये का -03- गुना दंड लगाने का और यदि कर्मचारी कनफर्म बुकिंग को निरस्त नहीं करता या हॉलिडे होम में नहीं जाता है तो लागू किराए का -06- गुना दंड लगाने का प्रावधान है.

सरकार द्वारा जारी COVID - 19 और विभिन्न यात्रा संबन्धित निर्देशों के अनुसार, यह स्वाभाविक है कि कई कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी जिन्होंने पहले अवकाश गृह बुक किए थे, अब उनकी बुकिंग रद्द कर रहे हैं. चूंकि ये रद्दीकरण COVID - 19 के कारण हैं, इसलिए 01.03.02020 से 30.04.2020 की अवधि के लिए अवकाश गृह बुकिंग को रद्द करने पर कोई जुर्माना नहीं वसूलने का निर्णय लिया गया है. उपरोक्त अवधि के लिए अवकाश गृह बुकिंग रद्द करने के लिए पहले से ही कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों से ली गई पेनल्टी को भी कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा किया जाएगा.

कृपया इस परिपत्र को पूर्व-कर्मचारियों तथा शाखा/ कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और इस परिपत्र की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें.

भवदीय,

जयदीप दत्ता राय

जयदीप दत्ता राय
प्रमुख (नीतिपरक मासं. एवं मासं. एकीकरण)

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Scanned with CamScanner

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

HO/BR/112/ 117

Date: 19-03-2020

CIRCULAR TO ALL BRANCHES/OFFICES IN INDIA

ISSUED BY HRM Dept.
HEAD OFFICE, BARODA

Sub/File: PERS 10

Madam,/ Dear Sir

Re: Reversal / Waiver of Holiday Home penalty charges for the period 01.03.2020 to 30.04.2020.

As per extant guidelines for booking of Holiday Homes, penalty charges are levied at -03- times the rent if the booking / reservation is cancelled less than 15 days prior to the date of his / her confirmed booking / reservations and -06- times the rent if the employee does not cancel the booking which are confirmed and do not visit the Holiday Home.

In view of the outbreak of COVID – 19 pandemic and various travel advisories issued by Government, it is natural that many employees / ex-employees who had booked the Holiday Homes earlier are now cancelling their bookings. Since these cancellations are on account of the outbreak, it has been decided not to charge any penalty on any cancellation of the Holiday Home bookings for the period 01.03.02020 to 30.04.2020. Penalty already collected from employees/ ex-employees for cancellation of Holiday Home booking for the above-mentioned period shall also be reversed soon to the respective accounts of the employees / ex-employees.

Kindly bring the contents of the circular to the notice of all employees and ex-employees and display a copy of the circular on the notice board.

Yours faithfully,

JOYDEEP DUTTA ROY
HEAD (STRATEGIC HR & HR INTEGRATION)

Scanned with CamScanner